न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/03/2020

1. टीकूराम पुत्र नोपाराम उम्र 66 वर्ष
2. परमाराम पुत्र नोपाराम उम्र 60 वर्ष
3. रतनलाल पुत्र नोपाराम उम्र 56 वर्ष
4. गोपालराम पुत्र नोपाराम उम्र 52 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा तगेलान तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. नोपाराम पुत्र लाखाराम उम्र 89 वर्ष
2. सुरजी देवी पुत्री नोपाराम उम्र 64 वर्ष
3. सोनी देवी पुत्री नोपाराम उम्र 62 वर्ष

   समस्त जाति जाट निवासीगण गोठड़ा तगेलान तहसील धोद जिला सीकर
4. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती
अ. धा. 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम व अ. धा. 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री ताराचंद यादव, वकील वादीगण की ओर से
2. श्री मंगलचंद बुरडक, वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 16.02.2021

01. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा सं. 216 रकबा 1.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 355 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 363 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, खसरा सं. 367 रकबा 3.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 369 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 475 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.9200 हेक्टेयर वाके ग्राम गोठड़ा तगेलान तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को बराबर–बराबर 1/7 – 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा तहसीलदार, धोद को मौका कमिश्नर नियुक्त कर उक्तानुसार विवादित भूमि के बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2020/4071 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी [illegible] डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। बहस उभयपक्ष की सुनी गई। बहस [illegible] उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री [illegible] किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:43 IST
Reason: SelfAttested

02. बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वादीगण टीकूराम, परमाराम, रतनलाल, गोपालराम पि. नोपाराम का

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

भूमि पर कब्जा काश्त है। भूमि का सात हिस्से कराना नहीं चाहते है। 1/7 – 1/7 हिस्से की मौके पर बंटवारा नहीं चाहकर राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी रखना चाहते है। उक्त प्रस्ताव रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिस पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों ने भी सहमति व्यक्त कर वादग्रस्त आराजियात में वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 का संयुक्त खातेदारी रखने बाबत सहमति जाहिर की है। न्यायालय के प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 12.03.2020 के द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जा चुका है। उक्त पर ही पक्षकारान इसी पर ही सहमत है तथा बंटवारा नहीं चाहते है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि की अंतिम डिक्री तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार किया जाना उचित है।

03\. अतः वाद अंतिम डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 216 रकबा 1.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 355 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 363 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, खसरा सं. 367 रकबा 3.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 369 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 475 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.9200 हेक्टेयर वाके ग्राम गोठड़ा तगेलान तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 के नाम के साथ हिस्सा 1/7 दर्ज कर वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादीगण सं. 2, 3 को प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज कर संयुक्त खातेदारी में बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मुख्यालय सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

टीकूराम आदि बनाम नोपाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक– 26.02.2021

मुकदमा नम्बर– 03/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिथलेश कुमार, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री ताराचंद यादव, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री मंगलचंद बुरडक, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 216 रकबा 1.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 355 रकबा 1.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 363 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, खसरा सं. 367 रकबा 3.5200 हेक्टेयर, खसरा सं. 369 रकबा 3.4700 हेक्टेयर, खसरा सं. 475 रकबा 0.1000 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.9200 हेक्टेयर वाके ग्राम गोठड़ा तगेलान तहसील धोद जिला सीकर में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 प्रत्येक को 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित कर वर्तमान रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 के नाम के साथ हिस्सा 1/7 दर्ज कर वादीगण सं. 1 ता 4 व प्रतिवादीगण सं. 2, 3 को प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज कर संयुक्त खातेदारी में बराबर–बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, धोद से प्राप्त रिपोर्ट प्रस्ताव निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

यह आज तारीख 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.03.24 15:24:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner